

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]
No. 60]दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 2008/चैत्र 22, 1930
DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 2008/CHAITRA 22, 1930[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 011
[N.C.T.D. No. 011

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सं. फा. 4/16/2006/श.वि./न.दि.न.पा./6679.—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 310 के साथ पठित धारा 38 की उप-धारा (1) में "श्री सार्वजनिक सुरक्षा तथा उपद्रव को रोकने संबंधी उपविधि" शीर्षक के अंतर्गत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा बनाई गई नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (कुत्तों का पंजीकरण एवं नियंत्रण) शीर्षक निम्नलिखित उपविधियों को परिषद् के दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 के संकल्प से 6(सी-47) द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् तथा उक्त अधिनियम की धारा 391 में यथापेक्षित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्वानुमोदन से, इसके द्वारा सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन उपविधियों को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (कुत्तों का पंजीकरण एवं नियंत्रण) उपविधि, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) उपविधियों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों—

(क) 'अधिनियम' का अर्थ है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44);

(ख) "स्वामी" का अर्थ है कुत्ते का स्वामी और इसमें अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं जो ऐसे कुत्ते को रखे हुए या अभिरक्षा में हैं, चाहे यह स्वामी की सहमति से या इसके बिना हों;

(ग) "पंजीकरण अधिकारी" का अर्थ है उपविधियों के उद्देश्य के लिए अध्यक्ष द्वारा पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी;

(घ) "सचिव" का अर्थ है परिषद् का सचिव जिसमें उसके द्वारा समय-समय पर आदेश से अधिकृत अन्य नगर पालिका अधिकारी भी शामिल हैं;

(ङ) "धारा" का अर्थ है अधिनियम की धारा;

(च) "आवारा कुत्ता" का अर्थ है गली, पार्क या सड़क पर रहने वाला कुत्ता;

(छ) "पशु चिकित्सक" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा कॉलेज से उपाधि हो तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के पास पंजीकृत हों।

(2) अधिनियम में प्रयोग किए गए परन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. रेबीज के टीकाकरण तथा पंजीकरण के बिना कुत्ते रखने का निषेध.—कोई भी व्यक्ति पंजीकरण प्राधिकारी से पंजीकृत करवाए बिना तथा रेबीज के टीकाकरण के बिना कुत्ता नहीं रखेगा।

4. धातु का टोकन जारी किया जाना तथा रेबीज के लिए टीका लगवाना.—तीन महीने से अधिक की आयु का कुत्ता रखने या लाने वाला व्यक्ति सात दिन के भीतर पंजीकरण अधिकारी से एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा धातु का टोकन प्राप्त करेगा इस टोकन को वह पंजीकृत कुत्ते को कालर में पहना कर रखेगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र में अन्य विवरण के अलावा निम्नलिखित विवरण होगा :-

(क) स्वामी का नाम और पता

(ख) पंजीकरण संख्या

(ग) कुत्ते की पहचान जैसे इसका नाम, नस्ल, जन्मतिथि, लिंग, रंग तथा एंटी रेबीज टीका लगाने तथा अगले टीके की तिथि

(घ) कोई अन्य विवरण

5. पंजीकरण शुल्क एवं कुत्तों का टीकाकरण :-

- (1) किसी कुत्ते के पंजीकरण तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा धातु का सेवन जारी करने के लिए तीस रुपये से लेकर अधिकतम पांच सौ रुपये प्रति कुत्ते के अनुसार जैसा कि सचिव द्वारा तत्समय निश्चित किया गया हो, पंजीकरण प्राधिकारी को आवेदक द्वारा देय होगा जिस के लिए उसे रसीद प्रदान दी जायेगी।
- (2) कुत्ते के स्वामी द्वारा रेबीज के लिए टीकाकरण नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् पशु चिकित्सालय, मोती बाग, नई दिल्ली में समय-समय पर परिषद् द्वारा नियत शुल्क के भुगतान पर करवाया जा सकता है। यह किसी पशु चिकित्सक से भी करवाया जा सकता है जो इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

6. पंजीकरण की वैधता एवं नवीकरण.-पंजीकरण 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष तक वैध होगा, जिसे वैधता समाप्ति से पहले नवीकृत करना होगा। नवीकरण का शुल्क प्रथम पंजीकरण के समान होगा।

7. स्वामित्व में बदलाव.-कुत्ते का स्वामी, यदि कुत्ते का स्वामित्व या उसके पते में परिवर्तन हुआ या कुत्ता गुम हो गया या मर गया है, घटना के तीन मास के भीतर इस की सूचना पंजीकरण अधिकारी को प्रदान करेगा।

8. गैर-पंजीकृत कुत्तों को पकड़ना.-कालर या अन्य विशेष चिन्हों के बिना जिससे उसके व्यक्तिगत संपत्ति होना का पता चले या उप-विधि 4 के अनुसार पंजीकरण का धातु का टोकन न पहने हुए कुत्ते को माना जायेगा कि उसका पंजीकरण नहीं हुआ है। ऐसे कुत्ते, या गैर-पंजीकृत कुत्ते के सड़क पर आवाड़ा धूमते हुए या अपने स्वामी के स्थान से बाहर पाये जाने पर पकड़ा जा सकता है तथा उस पर पशुओं पर अत्याचार निवारण अधिनियम, 1960 (1960-1959) के अंतर्गत बनाए गए पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियमावली, 2001 के नियम 6, 7 तथा 8 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. आवाड़ा कुत्तों की जनसंख्या पर नियंत्रण.-आवाड़ा कुत्तों की जनसंख्या पर नियंत्रण की दृष्टि से अध्यक्ष या अन्य नगर निगम अधिकारी या उसके द्वारा इस आशय के लिए अधिकृत अन्य नगर निगम कर्मचारी जहां तक संभव हो पशुकल्याण संघों, व्यक्तियों आदि जैसा कि उपविधि 8 में उल्लिखित पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियमावली, 2001 के नियम 6 में उल्लिखित हैं, की भागीदारी से वंश्याकरण एवं टीकाकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए।

10. कुत्तों की सुखमृत्यु.-नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् पशु चिकित्सालय, मोती बाग, नई दिल्ली के प्रभावी चिकित्सक या सचिव द्वारा अधिकृत पशु चिकित्सक द्वारा असाध्य रूप से बीमार तथा मरने के स्तर तक श्वायल निदान किए गए कुत्तों को पशुचिकित्सक द्वारा या भारतीय पशुकल्याण बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य मानवीय तरीके से जो वयस्क हैं उन्हें सोडियम पेंटाथलोन तथा अल्पायु कुत्तों को थियोपेंटल इंट्रोपेरेटोनियल देकर मानवीय तरीके से विशेष समयावधि के दौरान सुखमृत्यु दी जाएगी। एक कुत्ते के सामने दूसरे को मृत्यु नहीं दी जाएगी। सुखमृत्यु कार्य के लिए उतरदायी व्यक्ति सुनिरिक्त

करेगा कि अंतिम क्रिया से पहले पशु मर चुका हो।

11. खुंखार या बहरे कुत्ते.-

- (1) परिषद् की कुत्ते नियंत्रण कक्ष शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा रूप में रेबिड संदेहास्पद कुत्ते को पकड़ लेगा ऐसा कुत्ता इनको रखने के स्थान पर ले जाकर एकान्त वार्ड में रखा जायेगा।
- (2) ऐसा कुत्ते का निरीक्षण नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् पशुचिकित्सा अस्पताल, मोती बाग, नई दिल्ली के प्रभावी चिकित्सक तथा पशु कल्याण बोर्ड द्वारा या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी संगठन के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (3) यदि ऐसे कुत्ते में रेबीज की अत्यधिक संभावनाएं पाई जाती हैं तो प्राकृतिक मृत्यु तक इसे एकान्त में रखा जायेगा।
- (4) यदि कुत्ते की दस दिन के भीतर मृत्यु नहीं होती है तो इसके पुनर्वास की आवश्यक कार्यवाही के लिए मान्यता प्राप्त पशुकल्याण संगठन को सौंप दिया जायेगा।

12. लाश का संस्कार.-सुखमृत्यु कुत्तों की लाश को परिषद् के शवदाह स्थान में लाया जायेगा।

13. छूट.-ये उपविधियां, यदि अध्यक्ष संतुष्ट है, ऐसे कुत्तों पर लागू नहीं होती जो विधिवत आयोजित 'डोग शो' में लाये जाते हैं।

14. दण्ड.-इन उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 390 के प्रावधानों के अनुसार दण्ड दिया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. पी. एस. भाटिया, उपसचिव

F. No. 4/16/2006/UD/NDMC/6679.—The following Bye-laws entitled the New Delhi Municipal Council (Registration and Control of Dogs) Bye-laws, 2008 made by the New Delhi Municipal Council under the head "G. Bye-laws relating to public safety and suppression of nuisance" in sub-section (1) of Section 388 read with Sections 310 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), vide Council's Resolution No. 6(C-47) dated the 29th December, 2006 after previous publication and with the prior approval of the Government of National Capital Territory of Delhi, as required under Section 391 of the said Act, are hereby published for general information, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Bye-laws shall be called the New Delhi Municipal Council (Registration and Control of Dogs) Bye-laws, 2008.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Definitions.—(1) In these Bye-laws, unless the context otherwise requires,—